Form No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

जगदीश

बनाम

Avaada Sunrays Energy Private Limited

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र नं. 81 सन् 2021

अर्न्तगत धारा :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत्

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29-12-2021	आज यह प्रार्थना पत्र श्री अरूण राठौड एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड व शपथ पत्र के आधार पर इकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम नोखड़ा तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 98 तादादी 4.1300 हैक्टर भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण का जवाब आने तक बनाकर रखी जावें। अप्रार्थीगण को इसमे कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी दिनांक 03/02/2022 को इस न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। तदानुसार आदेश तहसीलदार (राजस्व) कोलायत के नाम जारी हों। अप्रार्थीगण के नाम नोटिश जारी हों। पत्रावली आयन्दा दिनांक 03/02/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
03/02/2022	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रामचन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल वाद किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आयन्दा दिनांक 22/02/2022 को पेश हो। मुकर्र :- अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। पत्रावली आयन्दा नियत दिनांक को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
22/02/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस समायत की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.02.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	

Scanned with CamScanner

24/02/2022 — पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रतिपूर्ति नहीं करने से निरस्त किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय मरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला—बीकानेर

Scanned with CamScanner